RAJASTHAN FINANCIAL CORPORATION
(FR SECTION)

Udyog Bhawan,
Tilak Marg,
Jaipur

Ref. No. RFC/23FR/HO/Policy-96/ 2331 Dated : 19/11/2005

CIRCULAR
(FR-369)

Reg : **Important court decision No. 110/03 u/s 138(b) Shri Raj Kumar Prop. M/s Suratgarh Departmental Store Hanumangarh Jn V/s RFC**

The Hon'ble Chief Judicial Magistrate, Hanumangarh has passed an order on 16.09.05 u/s 138(b) of Negotiatible Instrument Act against Shri Raj Kumar prop. of M/s Suratgarh Departmental Store, Hanumangarh punishing him by ordinary imprisonment of two years alongwith penalty of rupees 1.00 lac out of which Rs. 80,000/- is payable to the Corporation for dishonouring of cheque of Rs. 72,344/- . The order of the Hon'ble Court is enclosed at annexure-'A'.

In view of the the aforesaid order of the Hon'ble court, it is enjoined upon the filed offices to use it effectively to fetch maximum recovery from the cases where cheques have been dishonoured. The Branch Managers accordingly are advised to review all such cases for taking immediate action. Borrowers may also be made known about the aforesaid order of the Hon'ble court.

(KARNI SINGH RATHORE)
CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

Encl : as above

Copy to :

1. All ROs/BOs/Sub-Offices
2. DGM(A&I), Western Zone
3. Standard Circulation at HO

Annexure

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी- रविन्द्र कुमार, रा0न्या0से0

नम्बरी फौजदारी प्रकरण सं0- 110/03

राजस्थान वित्त निगम मुख्य कार्यालय उद्योग भवन तिलक मार्ग सी स्कीम जयपुर द्वारा शाखा कार्यालय हनुमानगढ़ जरिये उपप्रबंधक एस0पी0 मीणा पुत्र भगवान सहाय मीणा ब्रांच आफिस प्लाट नं0 4 सेक्टर नं0 7, हनुमानगढ़ जंक्शन

--परिवादी

बनाम

राजकुमार पुत्र भोलाराम जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नं0 22, सूरतगढ़ मालिक डिपार्टमेन्टल स्टोर, हनुमानगढ़

--अभियुक्त

प्रमाणित प्रतिलिपि

मुख्य लेखक

अपराध अन्तर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम

उपस्थित-

श्री कैलाश यादव अधिवक्ता, परिवादी निगम की ओर से

श्री बलविन्द्र सिंह अधिवक्ता, अभियुक्त की ओर से।

निर्णय दिनांक- 16.7.05

परिवादी राजस्थान वित्त निगम की ओर से उपप्रबंधक एस0पी0 मीणा ने दिनांक 22.5.02 को यह परिवाद अभियुक्त राजकुमार के विरुद्ध धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि परिवादी निगम स्टेट फाईनेंसियल कारपोरेशन एक्ट, 1951 के अन्तर्गत गठित एक संस्था है जो ऋण सुविधा कानून के अन्तर्गत उपलब्ध करवाने का कार्य करती है एवं स्टेच्यूटरी बोडी की परिभाषा में आती है जिसके उपशाखा प्रबंधक एस.पी. मीणा है जिन्हें प्रार्थी निगम की ओर से राज0 वित्त निगम अधिसूचना दिनांक 5.8.1988 द्वारा परिवाद प्रस्तुत करने उस पर निगम की ओर से हस्ताक्षर करने, साक्ष्य देने, अधिवक्ता नियुक्त करने व प्रार्थी निगम की ओर से स्वीकार की गई ऋण राशि की वसूली करने आदि हेतु समस्त प्रकार की आवश्यक कानूनी कार्यवाही करने

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़ (राज0)

के अधिकार प्रदत्त किये हुये है। अभियुक्त सूरतगढ डिपार्टमेन्टल स्टोर का प्रोपराईटर है।अभियुक्त ने अपने व्यवसाय हेतु निगम से 20,00,000रुपये का ऋण दिनांक 23·3·2000 को स्वीकृत कराया तत्पश्चात् प्रार्थी निगम ने दिनांक 28·3·2000 को दस लाख रुपये का ऋण अभियुक्त को वितरित किया जिसका भुगतान अभियुक्त द्वारा त्रैमासिक किश्तों में 15·1/2 प्रतिशत ब्याज सहित प्रार्थी निगम को किया जाना था । किसी भी किश्त की चूक होने पर ब्याज 20·75 प्रतिशत अतिरिक्त वार्षिक लिक्वीडेट डैमेज भी लिया जाना था। निगम को उक्त राशि के ब्याज के भुगतान हेतु अभियुक्त ने प्रार्थी निगम के पक्ष में एक चैक दिनांक 19·2·02 का दी बैंक आफ राजस्थान लिमिटेड का चैक नं०- ए·के· नं० 822973 राशि 72344रुपये का दिया जिसे प्रार्थी निगम ने भुगतान हेतु अपने बैंक दी बैंक आफ राज० शाखा हनुमानगढ में पेश किया । बैंक ने दिनांक 30·3·02 को अभियुक्त का उक्त चैक अनादरित कर प्रार्थी निगम को इस नोट के साथ लौटा दिया कि अभियुक्त के बैंक खाता में पर्याप्त राशि नहीं है और इसका ज्ञापन भी शाखा प्रबंधक ने अपने हस्ताक्षरों से बनाकर शाखा प्रबंधक को भेज दिया। इसके बाद प्रार्थी निगम से अभियुक्त को दिनांक 11·4·02 को नोटिस पंजीकृत डाक से भेजा और अभियुक्त को 15 दिन के अन्दर उक्त चैक राशि की अदायगी का समय दिया गया। नोटिस अभियुक्त को प्राप्त हो चुका है परन्तु अभियुक्त ने न तो नोटिस का जवाब दिया व न ही राशि अदा की । परिवाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार व क्षेत्राधिकार में है व अन्दर मियाद है व पूर्ण कोर्टफीस पर पेश है।

2· अभियुक्त के विरुद्ध धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में प्रसंज्ञान लिया गया।

3· अभियुक्त के विरुद्ध धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध का आरोप सारांश पृथक से विरचित कर लगाया जाकर सुनाया व समझाया गया जिसे अभियुक्त ने अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

4· परिवादी की ओर से साक्ष्य में गवाह पी·डब्ल्यू·1 जे०पी० भाणा के बयान लेखबद्ध करवाये गये।

5· परिवादी की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में चैक प्रदर्श पी1,बैंक का ज्ञापन प्रदर्श पी2,नोटिस प्रदर्श पी3,पोस्टल रसीद प्रदर्श पी4,ए·डी· प्रदर्श पी5,दी बैंक आफ राज० का मीमो प्रदर्श पी6 को प्रदर्शित करायागया।

6· बयान मुलजिम अन्तर्गत धारा 313 द०प्र०सं० लिये गये जिसमें उसने परिवादी की साक्ष्य को गलत होना बताया व निवेदन किया कि झूठा फंसाने के लिये मुकदमा झूठा बनाया है वह निर्दोष है।साक्ष्य सफाई में कोई गवाह

प्रमाणित प्रतिलिपि
मुख्य लेखक
केन्द्रीय ...
जिला एवं सेशन न्यायालय (राज.)
हनुमानगढ़

पेश नहीं किया गया।

7. न्यायालय के निर्णयार्थ निम्न प्रश्न उत्पन्न होते है-

§1§ आया अभियुक्त ने परिवादी निगम द्वारा दिये गये ऋण के पेटे एक चैक नं0 ए के 822973 राशि 72344 रूपये दिनांक 19.2.02 का दिया जो भुगतान हेतु लगाया गया जो अपर्याप्त कोष होने के कारण अनादरित हो गया व नोटिस मिलने के बाद भी अभियुक्त द्वारा राशि अदा नहीं की गई?

§2§ यदि हां तो अभियुक्त के लिये क्या दण्ड उचित है?

8. बहस सुनी गई एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

9. विद्वान अधिवक्ता परिवादी ने निवेदन किया कि साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध जुर्म साबित है। अभियुक्त द्वारा चैक दिया गया जो अनादरित हो गया और नोटिस मिलने के बाद उसके द्वारा भुगतान नहीं किया गया है। अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जावे। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने निवेदन किया कि साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध जुर्म साबित नहीं है। चैक ब्याज एवं किश्तों का था। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त किया जावे।

10. अभियोजनपक्ष की ओर से आई साक्ष्य का [illegible]

11. पी.डब्लू.1 [illegible] के अनुसार अभियुक्त सूरतगढ़ [illegible] स्टोर का प्रोपराइटर है। अभियुक्त ने अपनी फर्म के लिये बीस लाख रूपये का ऋण दिनांक 23.3.2000 को प्रार्थी निगम से स्वीकृत कराया व प्रार्थी निगम ने दिनांक 28.3.2000 को बादीपधार दस लाख रूपये का ऋण अभियुक्त को वितरित किया। उक्त ऋण की स्कीम त्रैमासिक किश्तों में ब्याज 15 प्रतिशत वार्षिक दर से चुकाया जाना तय था व किश्तों की चूक होने पर 2.75 प्रतिशत अतिरिक्त वार्षिक ब्याज भी लिया जाना तय था। अभियुक्त ने एक चैक दिनांक 19.2.02 को दी बैंक आफ राज0 द्वारा जारी प्रार्थी फर्म को निष्पादित कर दिया जो रूपये 72344 का था जो प्रदर्श पी1 है जिस पर अभियुक्त के हस्ताक्षर ए से बी है जिसे भुगतान हेतु बैंक आफ राज0 हनुमानगढ़ में पेश किया जो बैंक द्वारा अनादरित कर दिया गया जो दिनांक 30.3.02 को वापस भेज दिया गया। ज्ञापन मूल प्रदर्श पी2 है। चैक अनादरित होने पर एक नोटिस प्रदर्श पी 3 अभियुक्त को रजिस्टर्ड डाक से भेजा जो दिनांक 11.4.02 को भेजा था जिसकी पोस्टल रसीद प्रदर्श पी4 है, ए.डी. प्रदर्श पी5

प्रमाणित प्रतिलिपि
मुख्य लेखक
केन्द्रीय कृत प्रतिलिपिकार
जिला एवं सेशन न्यायालय
हनुमानगढ़ (राज.)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़ (राज०)

है व दी बैंक आफ राज० का मीमो प्रदर्श पी6 है व अभियुक्त के खाते में रुपये नहीं होने के कारण चैक डिसऑनर हो गया। जिरह में भी स्पष्ट करता है कि किश्तों के ड्यू होने से पहले ही उनके चैक ले लेते हैं जो एडवांस में पार्टी द्वारा प्रस्तुत करने पर लेते हैं व प्रदर्श पी1 चैक ब्याज व किश्तों का था। उसने इस तथ्य को सही बताया है कि इस चैक के बाद अभियुक्त के द्वारा इस लोन पेटे अमाउंट जमा करवाई गई है। प्रदर्श पी3 नोटिस में चैक नम्बर 822773 लिखा गया है जबकि वास्तविक चैक जो परिवाद में पेश किया गया है, उसका नम्बर 822973 है जिस हेतु उसने स्पष्ट किया है कि यह मिसप्रिन्ट के कारण हो सकता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मिसप्रिन्ट के कारण ऐसा हुआ है व नोटिस उसी चैक का दिया गया है जो अनादरित हुआ है। चैक अभियुक्त द्वारा न दिया गया हो व अभियुक्त के हस्ताक्षर चैक पर न हो, यह बचावपक्ष सिद्ध नहीं कर पाया है। चैक पर अभियुक्त के हस्ताक्षर है व उसी के द्वारा चैक दिया गया है जो उसके खाता में अपर्याप्त कोष होने के कारण अनादरित हुआ है व नोटिस मिलने के बाद भी उसके द्वारा कोई भुगतान नहीं किया गया है। अतः साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त राजकुमार के विरुद्ध धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप सन्देह से परे साबित है। अतः उसे दोषी करार दिया जाता है।

16/5/05

{रविन्द्रकुमार}
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़ (राज०)

प्रमाणित प्रतिलिपि
मुख्य लेखक
केन्द्रीयकृत प्रतिलिपिकार
जिला एवं सेशन न्यायालय
हनुमानगढ़ (राज.)

मोहर जिला एवं सेशन न्यायालय हनुमानगढ़ (राज.)

सजा के प्रश्न पर

सजा के बिन्दु पर सुना गया। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने निवेदन किया कि यह अभियुक्त का प्रथम अपराध है, वह भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं करेगा। अतः उसे परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जावे। विद्वान अधिवक्ता परिवादी ने अभियुक्त को सख्त से सख्त सजा देने की प्रार्थना की।

प्रस्तुत प्रश्न पर विचार किया। यह अभियुक्त का प्रथम अपराध न हो, ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है, लेकिन चैक अनादरित जैसे मामलों में किसी भी प्रकार से परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

आदेश

अभियुक्त राजकुमार पुत्र भोलाराम जाति अरोड़ा, निवासी वार्ड नं० 22, सूरतगढ़, मालिक डिपार्टमेंटल स्टोर हनुमानगढ़ को धारा

नेoफोजo सo- 110/03

{5}

138 परक्राम्य लिखित अधिनियम के आरोप में दोषी करार दिया जाता है व सजा के बिन्दु पर सुनने के पश्चात् अभियुक्त राजकुमार को धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम के तहत दो वर्ष का साधारण कारावास एवं एक लाख रुपये जुर्माना, अदम अदायगी जुर्माना तीन माह के साधारण कारावास से दण्डित किया जाता है। जुर्माना राशि में से अस्सी हजार रुपये धारा 357 दं0प्र0सं0 के तहत परिवादी निगम को क्षतिपूर्ति दिलायी जावे। अभियुक्त द्वारा पुलिस व न्यायिक अभिरक्षा में गुजारी गई अवधि मूल सजा में से मुजरा की जावे। अभियुक्त जमानत मुचलके पर आजाद है। उसके न्यायालय में उपस्थिति बाबत जमानत मुचलके तुरन्त प्रभाव से निरस्त किये जाते हैं। अभियुक्त को निर्णय की एक प्रति तत्काल निःशुल्क प्रदान की जावे।

{रविन्द्र कुमार}
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़ (राज0)

निर्णय एवं दण्डादेश आज दिनांक 16.9.05 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

{रविन्द्र कुमार}
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़ (राज0)